महत्वपूर्ण/टीएसी जांच

संख्या- 10/2015/1055 /92-2-15-18एम/2004,

प्रेषक

बाबूराम,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश्, लखनऊ ।

ग्रामीण अभियंत्रण् अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक :: 23 नवम्बर 2015,

विषय- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद के कार्यालय भवन के किराये की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-938/ग्रा0अ0वि0/बजट/का0भ0कि0/2015-16, दिनांक 23-06-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद के कार्यालय भवन, जिसका कुल कारपेट एरिया 1924.75 वर्गफुट है, का किराया रू0 4000.00 (रू0 चार हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से दिनांक 01-04-2015 से 31-03-2016 तक की अवधि के लिये श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2015/1055 /92-2-15,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in